प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अभियुक्त को हुई 7 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक 20.07.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 20.7.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 7 वर्ष कठोर कारावास एवम् अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना रामकोट से सम्बन्धित मु0अ0सं0 221/2011 धारा 363/366/376 भादवि बनाम सतीश पुत्र श्यामलाल नि0 चमखर थाना महोली सीतापुर में रामकोट पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 20.7.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 (पाक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा अभियुक्त सतीश पुत्र श्यामलाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363 भादवि में 2 वर्ष कठोर कारावास व 2,000/-रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष कठोर कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदंड व धारा 376 भादवि में 7 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

•••